



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 269 राँची, शुक्रवार, 19 चैत्र, 1943 (श०)
09 अप्रैल, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 मार्च, 2021

संख्या-16/PMU-10-03/2019 का0-2015-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0-2706 दिनांक-09.06.2020 द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के वेबसाइट jharpis.gov.in पर अपने Credential का उपयोग करते हुए चल-अचल संपत्ति विवरणी अपलोड करने का प्रावधान लागू किया गया है।

2- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के अंतर्गत चल-अचल संपत्ति विवरणी के ऑनलाईन मॉड्यूल को लागू होने के उपरान्त भी झा0प्र0से0 के कतिपय पदाधिकारियों द्वारा संपत्ति विवरणी ऑनलाईन समर्पित करने की सूचना प्राप्त हो रही है। उल्लेखनीय है कि चल-अचल सम्पत्ति की घोषणा संबंधी ऑनलाईन मॉड्यूल के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई प्रतिवेदित नहीं हुई है तथा चल-अचल सम्पत्ति की सूचना ऑनलाईन मॉड्यूल में सफलतापूर्वक अपलोड की जा रही है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में अधीन सभी सेवाओं यथा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा, झारखण्ड सचिवालय सेवा, झारखण्ड आशुलिपिक सेवा, राजभाषा सेवा एवं झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के कर्मी मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के वेबसाईट jharpis.gov.in पर अपने Credential का उपयोग करते हुए ऑफलाईन मॉड्यूल में चल-अचल संपत्ति विवरणी को अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन समर्पित चल-अचल सम्पत्ति विवरणी अनुमान्य नहीं होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।
